Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जैसलमेर में कृषि विभाग का वरिष्ठ सहायक 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर इकाई द्वारा आज जैसलमेर में कार्यवाही करते हुये रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक कार्यालय कृषि अधिकारी सिंचित क्षेत्र विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना भीकमपुर जिला जैसलमेर को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी खाद, बीज व कीटनाशक भण्डारण की दुकान का लाईसेंस जारी करने की एवज में कृषि विभाग बीकमपुर के वरिष्ठ सहायक रविन्द्र कुमार द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जैसलमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अन्नराज** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये रविन्द्र कुमार पुत्र सोहनपाल जाटव निवासी गली नं. 9 रामपुरा थाना नयाशहर बीकानेर, हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय कृषि अधिकारी सिंचित क्षेत्र विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना भीकमपुर जिला जैसलमेर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दौराने कार्यवाही आरोपी वरिष्ठ सहायक की कृषि अधिकारी श्री प्रेमसिंह से फोन पर वार्ता करवाई गई तो उसने भी रिश्वत राशि लेने की सहमति जाहिर की, जो फील्ड में गया हुआ है जिसकी तलाश जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में कृषि अधिकारी प्रेमसिंह की तलाश के साथ साथ आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।